(20)

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष 20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है प्रगति जैन 2. वर्तमान धारित पद अति. कोषालय अधिकारी नगर कोषालय, इन्दौर

3. वर्तमान वेतन 17550+5400 अगली वेतनवृद्धि की तारीख 01/07/2015

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित है	सम्पत्ति का नाम तथा ब्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या सम्बंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्यौरा	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
इन्दौर	गृह (आवासीय) 50%	प्लॉट	50-00 लाख रु. मात्र	स्वयं तथा पति के नाम पर 50/50%. (संयुक्त संपत्ति)	खरीदा, दि. 12/01/05 को प्रमोद कुमार जैन नि. फिरोजाबाद से प्लॉट खरीदा व उस पर भवन निर्माण किया	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश सामान्य भविष्य निधि (आहरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार पहिले की तारीख के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और उसमें वह उसके स्वामित्व की सभी उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दे।

स्थान: इन्दौर

दिनांक:

नाम: प्रगति जैन

पद: अति. कोषालय अधिकारी, नगर कोषालय इन्दौर

विभाग: म.प्र. वित्त सेवा

मुद्रणार्थी - 767—असमाप्ति— 15-1-13—20,000.